

मुताबिक रिपोर्ट पढी छल जोगयेल व IIR
वृत्त क्रियां के प्रस्तावित शुद्धि LRA Act नियम
136 के तहत किया जाना उचित है।



प्र.सं. 68/19

09/05/19

तदसीलक्ष्य श्री जॉय रिपोर्ट के अनुसार
प्रकारण LRA Act की धारा 136 में स्वीकार किया जाकर
प्रकारण RAA उच्चालय में विचाराधीन होने से तोक सला
उच्चालय RAA के निर्णय के अधीन रहेगा।

9.5.19

उपसपडाहेकारी
जुद्धाधिकारिक
(सज)